न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– पुक्खन बाई यादव पुत्री भागीरथ यादब, पत्नि अमृतलाल यादव

2– बसंता तनय अजुद्वी सौंर , फौत वारिसान पुत्रगण

रमलू आयु 40 साल, नन्हे सौंर आयु 30 साल पुत्रगण बसंता सौंर ,

सभी– निबासी ग्राम तखा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ ..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला द्वारा प्र0 क0 88/बी-121/2008-09 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18/07/11 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

२- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ ने एक प्रतिवेदन दिनांक 28/02/09 को कलेक्टर टीकमगढ को इस आशय का प्रतिवेदित किया कि ग्राम उत्तमपुरा की भूमि खसरा क्रमांक 69/11 रकवा 2.023 है, भूमि वर्ष १९८१-८२ में बसंता तनय अजुददी सौंर निवासी तखा को शासन द्वारा बंटन में आवंटित की गई थी, इस भूमि पर सक्षम अधिकारी के आदेश के वगैर वर्ष 1990-91 में पुक्खन बाई पिता भागीरथ यादव निवासी तखा का नाम दर्ज किया गया | अनुविभागीय अधिकारी ने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 119 –दो/2016 जिला –टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश पुक्खन बाई विरूद्ध शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.16	आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ जिला टीकमगढ का प्रकरण कमांक 88/बी–121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 18.7.11 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत की है । 2– आवेदकगण द्वारा अपने आवेदनपत्र में लेख किया है कि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2009 को कलेक्टर टीकमगढ़ को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम उत्तमपुर तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 69/11 रकवा 2.023 है0 वर्ष 1980–81 में आवेदक क0–2 के पिता बसंता सौर को पटट्ा पर प्राप्त हुई थी। जिसे 1991 में आवेदिका क0 एक द्वारा कय करके अपना नाम दर्ज करवा लिया था। उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये वगैर ही वादग्रस्त भूमि संहिता की धारा 165/7 (ख) का उल्लंघन मानकर म0प्र0 शासन में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदकगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया। निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र का प्रस्तुत तर्को के प्ररिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र में विलंब का कारण समाधानप्रद होने से निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है ।

4– निगरानी के साथ संलग्नल कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 18.7.2011 का अवलोकन किया गया तथा साथ में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 28.2.2009 का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2011 का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक क–2 बसंता को उपरोक्त भूमि वर्ष 1981–82 में पटट्ा पर प्राप्त हुई थी। जिसका उसके द्वारा दस साल बाद वर्ष 1991 में विक्रय किया गया है, जिसके आधार पर आवेदिका क0–1 का नाम दर्ज हुआ है। संहिता की धारा 165/7 (ख) वर्ष 1981–82 में अस्तित्व में नहीं थी। इस कारण इस धारा का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2013 रा0नि0 08 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम म0 प्र0 शासन में यह व्यवस्था प्रदाय की है कि संहिता की धारा 165–(ख) का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। इसी प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त भूमि कलेक्टर द्वारा म0 प्र0 शासन में दर्ज करने का आदेश पारित किया है । जबकि उपरोक्त न्याय दृष्टांत में यह व्यवस्था भी

प्रदान की गई है कि वादग्रस्त भूमि का पटट्ा इस धारा के अधीन निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

5– प्रकरण में आवेदकगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के खसरा पांच साला वर्ष 1991 से 2011 तक के खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिनका अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि करीव 20 साल से आवेदिका क0 –1 पुक्खन बाई के नाम पर दर्ज है। स्वमेव निगरानी में प्रकरण नामांतरण के करीब 20 साल बाद लिया गया है। जो विधि विरूद्ध है। एम0पी0डब्ल्यू0एन0 26 रवीन्द्र बनाम फातिमा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी है । कि स्वमेव निगरानी का समय अधिकतम एक वर्ष उचित है । इसी प्रकार अन्य बहुत से प्रकरणों में व्यवस्था प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रश्नाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण है।

6– अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करके कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 88/बी–121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका कमांक–1 पुक्खनबाई का नाम पूर्ववत दर्ज किया जावे । उभयपक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार को भेजा जावे।

सदस्य